न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

हनुमान बनाम संतोष देवी वगै.

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

मु.नं. 27/2021

प्रार्थना पत्र 251 A

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
04.03.2022	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी भूमि का पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का जोरावरनगर व भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर के साथ उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान उपस्थित पक्षकारान् व अधिवक्ता के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। मौका निरीक्षण उपरान्त फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण में किये गये मौका निरीक्षण उपरान्त निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निर्णित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
उभय पक्षकारान ने मौके पर रास्ते के लिए भूमि के बदले भूमि देने हेतु सहमति प्रदान की ख.नं. 272/2 की दक्षिणी सीमा के सहारे-2 10 फीट का रास्ता छोड़ने बाबत् अप्रार्थीगण सहमत हैं। हनुमान सहायक ... अ.नि. धासीराम ... I.LRJ ... I.PJN.	(हस्ताक्षर) 04/03/22 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :–27/2021
जी0सी0एम0एस नम्बर :– 2021/157
दायर दिनांक :–16.06.2021
निर्णय दिनांक :– 04.03.2022

उनवान प्रकरण

1. हणमान पुत्र श्री रामचन्द्र आयु 60 वर्ष जाति मीणा
2. दीपेन्द्र पुत्र सुरज्ञान आयु 35 वर्ष
3. प्रहलाद पुत्र रामचन्द्र आयु 50 वर्ष
4. मुकेश पुत्र रामचन्द्र आयु 37 वर्ष
5. घासीराम पुत्र रामचन्द्र आयु 65 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. सन्तोषदेवी पत्नि पूर्णमल जाति बलाई निवासी ग्राम बुचारा पोस्ट तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राज0

   1/1 मनोज वर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम चला तहसील नीमकाथाना
2. पटवारी हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955::–

उपस्थिति:–

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक –प्रार्थीगण
2. श्री फूलसिंह, अभिभाषक –प्रार्थी सं. 1
3. श्री सुरेश कुमार लाम्बा, अभिभाषक –अप्रार्थी संख्या 1
4. श्री श्रवण कुमार यादव, अभिभाषक –अप्रार्थी संख्या 2
5. पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर – अप्रार्थी संख्या 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::–

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.04 हैक्टर तन ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर भू-अभिलेख निरिक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित है जिसकी प्रार्थीगण प्रत्येक 1/9 हिस्सा के काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 0.53 हैक्टर तन ग्राम नालोट पटवार हल्काजोरावरनगर भू-अभिलेख निरिक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं। जिसकी अप्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नंम्बर 268 में आने जाने हेतु नालोट से कोटड़ी (शिमारला) जाने वाली मुख्य डामर सड़क गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 277 डामर की सड़क से होता हुआ खसरा नम्बर 272/2 की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे रास्ता 10 फुट चौड़ाई का जो अप्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज हैं में से होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 268 में जाता है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में से दर्शित होता हुआ प्रार्थीगण की अपनी कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 268 में आवागमन हेतु 10 फीट चौड़ाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है ताकि उक्त रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि में कृषि कार्य कर सके अपने मवेशियान आदि को ले जा सके एंव कृषि कार्य हेतु टैक्टर, ऊंट लड्डे आदि का आवागमन करते हुये अपनी कृषि भूमि का रास्ते के रूप में आवागमन आमद रफत करते हुये अपनी कृषि भूमि की सार सम्भाल करते हुये अपनी कृषि उपज को बाजार आदि में ले जाकर कृषि भूमि का समुचित विकास कर सके। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु नही हैं ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। उक्त रास्ता ही लघुत्तम व निकटमत रास्ता है। इस कारण उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में व नक्शे में रास्ते के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि भूमि में आने जाना दूभर हो गया है। इस कारण नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। प्रार्थी धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शर्तो की पालना करते हुए प्रार्थीगण कानूनी प्रावधानों की पूर्ति करने व डी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

एल.सी. दर की राशि देने को तत्पर एंव तैयार होने से प्रार्थीगण की काश्त की भूमि में जाने हेतु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक होने से न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.04 हैक्टर तन ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर भू-अभिलेख निरिक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में आवागमन हेतु नालोट से कोटड़ी (शिमारला) जाने वाली मुख्य डामर सड़क गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 277 डामर की सड़क से होता हुआ खसरा नम्बर 272/2 की उत्तरी सीमा के सहारे 10 फुट चौड़ाई का जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हैं मे से उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे होता हुआ प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता 10 फीट चौड़ाई का राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में रास्ते के रूप में अंकन कराते हुये मौके पर रास्ते को आमद रफत चालू कराया जाकर रास्ता उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की नोटिस तामील असालतन तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी गण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने पर नाम बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मनोज शर्मा पुत्र हनुमान प्रसाद जाति बलाई निवासी चला तहसील नीमकाथाना को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा गया। जवाब हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर सहित कुल 6 अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 की जवाबदेही बन्द की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम[illegible] वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण को सु[illegible] [illegible] उपयुक्ततम रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 709/रीडर/2021 दिनांक 12.07.2021 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

की गई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम नालोट के भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टर किस्म बारानी 2 तथा खसरा नम्बर 277 रकबा 0.30 हैक्टर किस्म गै. मु. रास्ता के मध्य खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर किस्म बारानी 2 स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर किस्म बारानी 2 स्थित की उत्तरी सीमा के सहारे-सहारे 10 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। सड़क के सहारे खसरा नम्बर 272/2 की पूर्वी सीमा पर पक्की दीवार बनी हुई है। दीवार लगभग 4-5 फीट ऊँची है। शेष भाग खाली है। प्रस्तावित रास्ता का कुल क्षेत्रफल 75 मीटर लम्बाई व 3.04 मीटर चौड़ाई में कुल 228 वर्गमीटर बनता है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एंव लघुत्तम है एंव अन्य कोई रास्ता नहीं होने बाबत अवगत कराया है। प्रस्तावित रास्ते की जमाबन्दी मय नक्शा ट्रेस संलग्न किया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एंव उसकी डी०एल०सी० दर सिंचित भूमि 1102527/- रूपये प्रति हैक्टर की दर से गणना की जाकर भूमि खसरा नम्बर 272/2 में से 3.04X75=228 वर्गमीटर, डी०एल०सी० दर की 25138/-रूपए की दुगुनी राशि =50276/- रूपयें (पचास हजार दो सौ छिहतर रूपये मात्र) बनती है।

प्रकरण में वकील अप्रार्थी संख्या 1/1 ने दिनांक 29.09.2021 को प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर के भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टर के हिस्सा 1/9 के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर के अन्य खातेदारान् को प्रकरण में पक्षकारान् नहीं बनाने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टरकी खातेदारी अप्रार्थीया संतोष देवी काबिज काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना अस्वीकार होकर उक्त भूमि की खातेदारी उत्तरदाता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने व उत्तरदाता की भूमि की पूर्वी दिशा में पुख्ता डण्डा होने से उक्त भूमि बाबत प्रार्थीगण किसी प्रकार का अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुसार प्राप्त नहीं कर सकते। भूमि खसरा नम्बर 268 में जाने के लिए प्रार्थीगण को ग्राम नालोट में से कोटड़ी-नालोट सड़क मार्ग से ग्राम नालोट की आवासीय आबादी में से वर्षो से जा रहे रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 268 से लगभग 20 मीटर पूर्व की तरफ होने [illegible] के रूप में आने हेतु रास्ता होने व प्रार्थीगण द्वारा उक्त पहले से [illegible] अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में कृषि कार्य करने हेतु अपने मवेशियान ट्रैक्टर, उंट-लड्ढे आदि लाने ले जाने व कृषि भूमि की सार सम्भाल करते हुए अपनी कृषि उपज को बाजार में ले

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

जाकर कृषि भूमि को समुचित विकसित करने हेतु विकल्प के तौर पर रास्ता संक्षिप्त दूरी का होने से प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध है। खसरा नम्बर 272/2 की उत्तरी सीमा से 10 फुट चौड़ाई का रास्ता गै0मु0रास्ता खसरा नम्बर 277 डामर की सड़क से बिना किसी अतिआवश्यकता के महज उत्तरदाता की भूमि की पूर्वी दिशा पुख्ता डण्डायुक्त महदूद होने से लेने हेतु खारिज किये जाने योग्य है। भूमि खसरा नम्बर 272/2 की खातेदारी उत्तरदाता के नाम होने व उक्त भूमि कोटड़ी नालोट डामर सड़क के सटाकर डामर सड़क से पश्चिमी दिशा में भूमि की पूर्वी तरफ पुख्ता डण्डा युक्त होने व उत्तरदाता उपयोग व उपभोग करते आना व भूमि को आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन करवा रखा है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नम्बर 268 में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता ग्राम नालोट की आवासीय आबादी में से होकर पहले से ही आने जाने हेतु उपलब्ध होने के बावजूद भी उक्त भूमि में से रास्ता लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में दिनांक 21.02.2022 को वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को आबादी भूमि से रास्ते की उपलब्धता होने तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से मात्र 20 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में वैकल्पिक रास्ता होने बाबत एंव अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर का सम्परिवर्तन आवासीय/वाणिज्यिक करवा लिये जाने बाबत अपनी बहस में कथन किया। जिस पर उपस्थितवकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त आबादी भूमि से कथन किये गये रास्ते पर वर्तमान में अप्रार्थीगण ने मौके पर पक्का निर्माण कर चबूतरा बना लिया है एवं उसके आगे डण्डा पक्की दिवार बनी होने से उक्त रास्ता आवागमन के योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से 20 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में बताया गया रास्ता सम्परिवर्तित भूमि में से होकर आता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उस रास्ते को भी पत्थर डालकर पूर्व में ही अवरूद्ध कर दिया गया था जिसके पश्चात् ही प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु धारा 251 ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर (नवीन खसरा नम्बर 478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी ... फर्द दस्तावेजात के साथ नवीनतम जमाबन्दी पेश करते हुए अभी तक ... /वाणिज्यिक सम्परिवर्तन नहीं होने तथा उक्त प्रयोजनार्थ सम्परिवर्तन कराये जाने ... पत्रावली उपखण्ड अधिकारी कार्यालय श्रीमाधोपुर में पेश कर रखी होने बाबत अवगत कराते हुए प्रार्थीगण द्वारा चाहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

गये रास्ते से प्रार्थीगण को वंचित किये जाने की कुचेष्ठा अप्रार्थीगण के द्वारा की जा रही है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सम्परिवर्तित पत्रावली में सम्परिवर्तन के आदेश जारी हो जायेगें तो प्रार्थीगण को किसी भी सूरत में रास्ता नहीं मिल पायेगा क्योंकि प्रार्थीगण की भूमि की पूर्वी दिशा में अवस्थित सभी भूमियों सम्परिवर्तित होकर किस्म गै. मु. आवासीय/वाणिज्यिक दर्ज हो जायेगी। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी प्रार्थीगण की कृषि भूमि से लगती हुई भूमियों का बंटवारा कर सम्परिवर्तन करवाया जा चुका है। (खसरा नम्बर 272/1 व 272/3) का कथन वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

दौराने बहस ही वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्रकरण में विरोधाभाषी कथन होने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वंय मौका निरीक्षण किये जाने का निवेदन किया गया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दिनांक 04.03.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवारी हल्का जोरावरनगर व भू-अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर के साथ वादग्रस्त आराजी भूमि का उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में चारों तरफ से वैकल्पिक रास्ते की तलाश की गई। दौराने किये गये मौका निरीक्षण उपस्थित पक्षकारान् के आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। जिनमें प्रार्थीगण में से प्रार्थी सं. 1 व 5 मय अधिवक्ता श्री कमल कुमार शर्मा एड0 तथा अप्रार्थीगण की ओर से श्री चौथमल मीणा, सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय खण्डेला उपस्थित आये। मौका स्थल पर किये गये मौका निरीक्षण की फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई। जिस पर अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्री चौथमल मीणा, सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय खण्डेला ने प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये ग्राम नालोट के भूमि खसरा नम्बर 272/2 (नवीन खसरा नम्बर 478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी-2) की उत्तरी सीमा के सहारे 10 फुट चौड़ाई का रास्ता नहीं देकर उक्त खसरा नम्बर की दक्षिणी सीमा में अन्य खसरा नम्बरान में निर्मित दुकानों के सहारे-सहारे 10 फुट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने तथा उक्त दिये जाने वाले रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिलवाये जाने की मॉग की गई। जिस पर उपस्थित प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की भूमि [illegible] हुई भूमि दिये जाने बाबत अपनी सहमति प्रदान की। अप्रार्थी के प्रतिनिधि श्री चौथमल मीणा, सेवानिवृत्त सहायक प्रशासनिक अधिकारी, उपखण्ड कार्यालय खण्डेला ने सहमति देकर न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये तथा फर्द मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मना करते हुए अप्रार्थी मनोज वर्मा को दिनांक 04.03.2022 को कार्यालय समय में उपस्थित होकर हस्ताक्षर करवाने बाबत अपनी सहमति दी। अप्रार्थी मनोज वर्मा का कार्यालय समय सांय 6.00 बजे तक इन्तजार किया गया लेकिन अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। यद्यपि अप्रार्थी के प्रतिनिधि श्री मीणा द्वारा रास्ते की भूमि के बदले भूमि लेने हेतु सहमति प्रदान की गई परन्तु उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार श्री मनोज वर्मा द्वारा सहमति बतौर अपने हस्ताक्षर नहीं करने से उनके प्रतिनिधि श्री मीणा द्वारा दी गई सहमति पर विचार किया जाना न्यायसंगत प्रतित नहीं होता है।

पीठासीन अधिकारी द्वारा बहमराह पटवारी हल्का जोरावर नगर व भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर के साथ उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में किये गये मौका निरीक्षण के दौरान प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये उक्त प्रस्तावित रास्ता सम्बन्ध में मौका निरीक्षण करते हुए प्रार्थीगण के चारों तरफ से अन्य कोई लगते हुए वैकल्पिक रास्ते व लघुत्तम व निकटतम रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच पड़ताल की गई। जहाँ तक प्रार्थीगण को आबादी भूमि में से रास्ता बना होना अप्रार्थीगण ने अवगत कराया है के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान् की मौजूदगी में तत्समय किये गये मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि उक्त रास्ता में भी पक्का निर्माण चबूतरा व डण्डा निर्मित होने से उक्त रास्ता निकासी के योग्य नहीं पाया जाता है। उक्त आबादी भूमि बाबत कथन किये गये रास्ते पर वर्तमान में अप्रार्थीगण ने मौके पर पक्का निर्माण कर चबूतरा बना लिया है एवं उसके आगे डण्डा पक्की दिवार बनी होने से उक्त रास्ता आवागमन के योग्य नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से 20 मीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में बताया गया रास्ता सम्परिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 272/1 में से होकर आता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा उस रास्ते को भी पत्थर डालकर पूर्व में ही अवरूद्ध कर दिया गया था जिसके पश्चात् ही प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु धारा 251 ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर (नवीन खसरा नम्बर 478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी–2) राजस्व रिकार्ड के अनुसार किस्म बारानी–2 अंकित है। जिसका मौका निरीक्षण दिनांक तक आवासीय/वाणिज्यिक [illegible] पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि [illegible] 268 रकबा 1.04 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 1.04 हैक्टर किस्म बारानी [illegible] ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित जोत तक पहुँचने के लिए अन्य खातेदार की जोत खसरा नम्बर 272/2 रकबा 0.53 हैक्टर (नवीन खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/03/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी–2) में से आत्यंतिक आवश्यकता होने, पहुँच के वैकल्पिक साधन(रास्ता) का अभाव होने एंव चाहे गये रास्ते का निकटत्तम एंव लघुत्तम पाये जाने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 268 कुल रकबा 1.04 हैक्टर किस्म– बारानी 2 अवस्थित तन ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर भू–अभिलेख निरिक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में आवागमन हेतु नालोट से कोटड़ी (शिमारला) जाने वाली मुख्य डामर सड़क (गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 277) सेपश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 272/2 (नवीन खसरा नम्बर 478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी–2) की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे10 फीट चौड़ाई का रास्ता जिसकी लम्बाई 75 मीटर व चौड़ाई 3.04 मीटर कुल 228 वर्ग मीटर लगभग भूमि राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेश में गै. मुमकीन रास्ता सिवायचक के रूप में अंकन की जावें एंव उक्त रास्ते के बदले में वर्तमान प्रचलित डी.एल. सी. दर का दो गुना राज्यकोष मे जमा करवाकर सम्बन्धित अप्रार्थी को भुगतान करते हुए राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

–:: **क्रियात्मक आदेश** ::–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से रास्ते की एवज में प्रतिकर कुल राशि 50276/– रूपए अक्षरे पचास हजार दो सो छिहतर रूपये मात्र वसूल की जाकर नियमानुसार राजकोष में जमा कर अप्रार्थी श्री मनोज वर्मा को भुगतान करते हुए कृषि भूमि खसरा नम्बर 268 रकबा 1.04 हैक्टर किस्म बारानी–2 तन ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावरनगर भू–अभिलेख निरिक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में आवागमन हेतु नालोट से कोटड़ी (शिमारला) जाने वाली मुख्य डामर सड़क (गैर मु. रास्ता खसरा नम्बर 277) सेपश्चिमी दिशा में खसरा नम्बर 272/2 (नवीन खसरा नम्बर 478/272 रकबा 0.4540 हैक्टर किस्म बारानी–2) की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे 10 फीट चौड़ाई का रास्ता जिसकी लम्बाई 75 मीटर व चौड़ाई 3.04

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested

04/02/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

मीटर कुल 228 वर्ग मीटर लगभग भूमि का रास्ता वर्तमान डी.एल.सी. दरों से गणना की जाने पर राशि 25138/– रूपए की दुगुनी राशि 50276/– रूपए प्रतिकर पर दिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार कुल 228 वर्गमीटर लगभग भूमि बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें। रास्ते की अधिकतम चौड़ाई 10 फिट से अधिक नहीं हो एंव नक्शे में आवश्यक तरमीम की जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

04/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 04.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/03/22
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.03.16 11:26:03 IST
Reason: SelfAttested